न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिक्री 271/2016
पंजीयन दिनांक 04.08.2016

(1). शंकरलाल पिता नाथुराम जाति वैष्णव निवासी फुटपाल, रावतभाटा हाल मुकाम कोटा बेरियर, रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला, चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). देवीबाई पत्नी शंकरलाल जाति वैष्णव निवासी फुटपाल, रावतभाटा हाल मुकाम कोटा बेरियर, रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला, चित्तौड़गढ़(राज0)।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). क्षेत्रिय वन अधिकारी वन विभाग रावतभाटा बोराव, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). जिला वन अधिकारी, वन विभाग चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 30/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.07.2016

उपस्थित वक्त बहस–(1). नरेन्द्र कुमार नाहर–अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). पूरणमल स्वर्णकार–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
(3). छोगालाल जाट– रेस्पोडेन्ट संख्या 3

निर्णय **दिनांक 02.08.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट्गण ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादीगण अपीलांटगण के कब्जे काश्त की मौजा फुटपाल तहसील रावतभाटा की आराजी सख्या 48/5 रकबा 08 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर सन 1985 से वादीगण अपीलांटगण का कब्जा है तथा दिनांक 05.06.1992 को आराजी संख्या 48 मे से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात वादीगण अपीलांटगण को आवंटित हुई थी जो जरिये नामान्तरण संख्या 53 दिनांक 25.06.1992 को वादीगण अपीलांटगण के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज हुई। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के नवीन नम्बर 48/5 हुये। नामान्तरण संख्या 84 दिनांक 14.12.2001 से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात वादीगण अपीलांटगण की खातेदारी मे दर्ज हुई। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर वादीगण अपीलांटगण आवंटन से पूर्व काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। हाल ही मे तहसील रावतभाटा मे सेटलमेंट की कार्यवाही हुई जिसके नोटिस भी सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा ने वादीगण अपीलांटगण को दिये परन्तु नोटिस मे तारीख अंकित नहीं होने से वादीगण अपीलांटगण सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सके इसलिए वादीगण अपीलांटगण की उक्त आराजीयात का खाता विलोपित कर दिया गया। पटवारी हल्का से जानकारी लेने पर यह ज्ञात हुआ कि वादीगण अपीलांटगण की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का खाता विलोपित कर दिया है जबकि वादीगण अपीलांटगण उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा वादीगण अपीलांटगण को उक्त आराजीयात पर सुखाधिकार भी प्राप्त है। वादीगण अपीलांटगण ने तहसीलदार रावतभाटा के यहां दिनांक 14.09.2009 को प्रार्थना-पत्र पेश कर स्वयं के खाते की आराजी बताये जाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार रावतभाटा ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की जिसमे यह तथ्य सामने आया कि वादीगण अपीलांटगण के खातेदारी की वर्णित विवादित कृषि आराजीयात नवीन भू-प्रबन्ध मे निरस्त कर दी गई तथा वादीगण रेस्पोडेन्टगण वर्तमान मे मौजा कोलपुरा के नवीन खसरा नम्बर 437 पर काबिज है तथा खसरा नम्बर 437 वर्तमान मे वन विभाग की खातेदारी मे दर्ज है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट आने के बाद वादीगण अपीलांटगण ने दिनांक 19.12.2009 को प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को धारा-80 दीवानी प्रक्रिया संहिता के नोटिस दिलवाये लेकिन अभी तक वादीगण अपीलांटगण के खातेदारी व कब्जे की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को वादीगण अपीलांटगण के खातेदारी मे दर्ज नहीं किया है। अन्त मे मौजा कोलपुरा की आराजी संख्या 437 मे 8 बीघा कृषि आराजीयात का वादीगण अपीलांटगण को खातेदार घोषित किये जाने व उक्त आराजीयात मे वन विभाग की खातेदारी निरस्त किये जाने की निर्णव व डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। दिनांक 05.03.2014 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई। पत्रावली दिनांक 05.07.2016 को लोक अदालत मे रखी जाकर तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2012 के आधार पर मौजा फुटपाल की गत भू-प्रबन्ध की आराजी सख्या 48/5 के बजाय मौजा कोलपुरा की नवीन भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 437 में वादीगण अपीलांटगण का कब्जा होना मानते हुए वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा का वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 05.07.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। दिनांक 05.03.2014 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई। तनकियात कायम किये बिना ही पत्रावली दिनांक 05.07.2016 को लोक अदालत मे रखी गई जिसकी अपीलांटगण प्रतिवादीगण को कोई सूचना नही थी। दिनांक 05.07.2016 को पत्रावली लोक अदालत मे रखी जाकर तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2012 के आधार पर मौजा फुटपाल की गत भू-प्रबन्ध की आराजी सख्या 48/5 के बजाय मौजा कोलपुरा की नवीन भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 437 में वादीगण अपीलांटगण का कब्जा होना मानते हुए अपीलांटगण प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे व पक्षकारान के मध्य बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लिखित राजीनामे के वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि लोक अदालत मे प्रकरण का निस्तारण उभपक्षकारान की सहमति व राजीनामे के आधार पर ही किये जाने का प्रावधान है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि वादीगण अपीलांटगण को मौजा फुटपाल की आराजी संख्या 48 रकबा 177 बीघा 07 बिस्वा भूमि मे से 8 बीघा कृषि भूमि दिनांक 25.06.1992 को आवंटित हुई जिसके नवीन आराजी नम्बर 48/5 कायम किये जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये गये। उक्त आराजीयात बिलानाम सरकार भूमि होकर राजस्व रेकॉर्ड मे उक्त आराजीयात वन विभाग की खातेदारी मे दर्ज नहीं थी। विधि अनुसार भू-प्रबन्ध अधिकारीयों द्वारा वादीगण अपीलांटगण की खातेदारी के नये आराजी नम्बर कायम करने चाहिए थे परन्तु भू-प्रबन्ध अधिकारीयों ने नये नम्बर कायम नहीं किये। साथ ही वादीगण अपीलांटगण को आवंटित उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का आवंटन सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवाया है। वादीगण अपीलांटगण विधिक रूप से आराजी संख्या 48/5 रकबा 8 बीघा पर काबिज है जिससे वादीगण अपीलांटगण उक्त आराजीयात के नये नम्बर कायम करा राजस्व रेकॉर्ड मे उक्त आराजीयात स्वयं के नाम खातेदारी मे दर्ज करा इन्द्राज दुरुस्ती कराने का अधिकारी है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार उभयपक्षकारान के अभिवचनों पर सुनवाई करते हुए पत्रावली दिनांक 05.07.2016 को लोक अदालत मे रखी जाकर तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2012 के आधार पर मौजा फुटपाल की गत भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 48/5 के बजाय मौजा कोलपुरा की नवीन भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 437 में वादीगण अपीलांटगण का कब्जा होने एवं तथा वादीगण अपीलांटगण की खातेदारी घोषणा हेतु वांछित आराजी मौजा फुटपाल की गत भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 48/5 पर कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...ना प्रमाणित होने से वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा ...वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। दिनांक 05.03.2014 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई। परन्तु पत्रावली मे तनकियात कायम किये बिना ही पत्रावली दिनांक 05.07.2016 को लोक अदालत मे रखी गई जिसकी अपीलांट्गण प्रतिवादीगण को कोई सूचना नही दी गई। दिनांक 05.07.2016 को पत्रावली लोक अदालत मे रखी जाकर तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2012 के आधार पर मौजा फुटपाल की गत भू-प्रबन्ध की आराजी सख्या 48/5 के बजाय मौजा कोलपुरा की नवीन भू-प्रबन्ध की आराजी संख्या 437 में वादीगण अपीलांट्गण का कब्जा होना मानते हुए अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे व उभय पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे के वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा का वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत है क्योकि लोक अदालत मे प्रकरण का निस्तारण उभय पक्षकारान की सहमति व राजीनामे के आधार पर ही किये जाने का प्रावधान है। साथ ही पत्रावली मे जवाब प्रस्तुत किये जाने के बाद व्यवहार प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों की पालना भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नहीं की जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 30/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2016 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...य को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि आदेश 20 ...म 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए, उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर अजसरे ,तनकीवार, नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान दिनांक 08.09.2022 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)